ई–मेल
संख्या–644/आठ–3–21–234 विविध/2017

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः23 फरवरी, 2021**

विषय :– शमन उपविधि–2010 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि रिट याचिका संख्या–15757(सी)/2020 मो0 मेहरबान अंसारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या–डब्लू–87/आठ–3–20–234 विविध/17, दिनांक 09.10.2020 द्वारा शमन योजना–2020 विषयक शासनादेश संख्या–एम0एस0–09/आठ–3–20–234 विविध/2017 टी.सी. दिनांक 15.07.2020 का कियान्वयन तात्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2– उल्लेखनीय है कि उक्त शमन योजना–2020 के प्रस्तर 7.7 में इस योजना के प्रभावी होने (6 माह) की अवधि में शमन उपविधि 2010 को स्थगित रखे जाने का उल्लेख था अतएव शमन योजना–2020 की अवधि 20.01.2021 को समाप्त होने के पश्चात मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के संबंध में अपर महाधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय का विधिक परामर्श प्राप्त किया गया है। अपर महाधिवक्ता द्वारा दिये गये विधिक परामर्श के मुख्य अंश निम्नवत् हैंः–

In my Opinion on account of the fact that Scheme has come to an end the interim order will no longer survive and under the circumustances there is no occasion for the interim order to remain in operation as it is a non-existent interim order when the Scheme is not in operation.

3– उक्त संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त परामर्श के आलोक में शमन योजना–2020 की अवधि दिनांक 20.01.2021 को समाप्त होने के दृष्टिगत शमन उपविधि–2010 के अनुसार कार्यवाही किये जाने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती है। कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–644(1)/आठ–3–21–234 विविध/2017–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
5. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

SO-3 SYST/214/30-2021